

मु.नं- 68/23 मूलसिंह/काशूलाल

4-3-26 दार एसो. स्थगन
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उष.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....15-4-26... को पेश हो

10-4-26 वादी द्वारा धारा 151 C.P.C. के तहत राजस्व
वाद पत्र को विद्रा करने तथा पत्रावली को तलब
करने बाबत प्रार्थना- पत्र पेश करने पर पत्रावली
तलब की गयी। वादी स्वयं उपस्थित, जिन्होंने
पहचानस्वरूप आधार कार्ड सं. 918009270928
की स्व-हस्ताक्षरित प्रति पेश की। वादी द्वारा
उक्त राजस्व वाद पत्र को विद्रा करना तथा
वादी आगे वाद को नहीं चलाना चाहता है।
वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र पर
वादी एवं वकील वादी को सुना गया। तदनुसार
वादी का वाद जोरिये विद्रोत खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फेरल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अ.
नि.



मूल-
सिंह

वकीलजी अरविन्द...